

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

प-1959/नॉर्वि/37/2000

जयपुर, दिनांक 9.1.2001

विषय :- राज्य में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ किए गए
स्थानान्तरण के संबंध में।

महोदय,

दिनांक 9.1.2001 को कृषि भूमि के कृषि प्रयोजनार्थ स्थानान्तरण
विधिम की सीमा मांटा में बताया गया है कि जिना साकर की
नगर पालिका क्षेत्रों में कृषि भूमि में कृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होने पर
जारी पट्टों में प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाही अधिकारी के हस्ताक्षर
करवाये जा रहे हैं। उपरोक्त प्रावधान राजस्थान नगर पालिका अधिनियम
की धारा-1959 की धारा-80 के प्रतिकूल है। नगर पालिका की
भूमि पर पट्टे जारी करने का अधिकार मात्र म्यूनिसिपल बोर्ड का है।
अतः पट्टों पर नगर पालिका के अध्यक्ष एवं अधिशाही अधिकारी के
हस्ताक्षर ही करवाये जाने हैं।

वृष्या तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

ए. ए. भादुराज

एव. ए. भादुराज

शासन उप सचिव (प्रथम)

प्रतिनिधि: डिनटेराड, स्थानीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर को
प्रेषित कर दिया है जिसे वे अपने नगर पालिका/परिसर को उक्त पत्र की
प्रति उपलब्ध करवाने का अनुरोध करते हैं।

उप निधि प्रहारा